कार्यालय नजारत जनपद न्यायालय देवरिया

माननीय उच्च, इलाहाबाद के द्वारा पी.आई.एल सं0-15895/2015 (रि ज़िला अधिवक्ता संघ, इलाहाबाद) में पारित आदेश के अनुक्रम में जनपद न्यायालय , देवरिया में न्यायलय परिसर के चारो ओर पुराने बाउण्ड्रीवाल को तोड़ कर सुरक्षा मुख्यालय, लखनऊ के मानक के अनुरूप नये बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराया जाना है। पुराने बाउण्ड्रीवाल तोड़ने तथा मलबा हटाने की नीलामी दिनांक 16.09.2016 को सायं 4:00 बजे जनपद न्यायालय देवरिया के दस कक्षीय भवन के सभागार कक्ष में नीलामी समिति के समक्ष होगी। इच्छुक फर्म/ठेकेदार दिनांक 08.09.2016 से 12.09.2016 के बीच किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक उक्त बाउण्ड्रीवाल का निरीक्षण स्थल पर जाकर कर सकते हैं।

नीलामी हेतु नियम एवं शर्तें निम्नवत हैः-

1- नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक फर्म/ठेकेदार को अपना फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2- नीलामी में भाग लेने के पूर्व उक्त बाउण्ड्रीवाल का भली भाँति निरीक्षण कर लें।
3- नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक फर्म/ठेकेदार को नीलामी के पूर्व रू0 40000/-(रूपये चालिस हजार मात्र) की धनराशि जमानत के रूप में कार्यालय नजारत, जनपद न्यायालय देवरिया में जमा करना होगा।
4- नीलामी केवल बाउण्ड्रीवाल एवं उसमें लगे अचल वस्तु के लिये ही है। भूमि पर पूर्ण अधिकार न्याय विभाग का होगा।
5- सभी फर्म/ठेकेदार को सभी नियम एवं शर्तों के पालन का घोषणा पत्र देना होगा।
6- यदि बाउण्ड्रीवाल को तोड़ते समय कोई पुरातत्व महत्व की अथवा खजाना/दुर्लभ वस्तुए प्राप्त होती है तो इसकी सूचना तत्काल विभाग एवं पुलिस को देना होगा तथा ऐसी स्थिति में समस्त सम्पत्तियों पर अधिकार न्यायालय/सरकार का होगा।
7- बाउण्ड्रीवाल को तोड़ने का कार्य प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक ही किया जा सकेगा।
8- बाउण्ड्रीवाल तोड़ते समय कोई श्रमिक, कर्मचारी एवं अन्य व्यक्तियों की दुर्घटना होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित फर्म/ठेकेदार की होगी।
9- बाउण्ड्रीवाल को तोड़ते समय सम्पूर्ण परिसर को प्रदुषण मुक्त रखना होगा।
10- किसी भी उच्चतम बोली बोलने वाले को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, देवरिया के पास सुरक्षित होगा।
11- नीलामी की अंतिम बोली का निर्णय माननीय जनपद न्यायाधीश देवरिया के द्वारा तय किया जायेगा।
12- नीलामी सम्पन्न होने तथा मान्य होने पर नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि एक मुश्त तत्काल कार्यालय नजारत जनपद न्यायालय देवरिया में जमा करनी होगी।
13- अन्य कोई भी शर्त जो समिति के द्वारा घोषित की जायेगी उसे मानना सभी के लिये बाधकारी होगा।

दिनांक/देवरिया।
अगस्त 30,2016.

(साधना रानी ठाकुर),
अपर जनपद न्यायाधीश-2,
अध्यक्ष-नीलामी समिति,देवरिया।

प्रतिलिपि प्रचार प्रसार हेतु निम्नलिखित सूचना पट्ट पर लगायी जाये:-

1- जनपद न्यायालय देवरिया के सूचना पट्ट पर।
2- कलेक्ट्री कचहरी देवरिया के सूचना पट्ट पर।
3- नगर पालिका परिषद, देवरिया के सूचना पट्ट पर।
4- जिला परिषद देवरिया के सूचना पट्ट पर।
5- जनपद न्यायाधीश देवरिया को सूचनार्थ प्रेषित।
6- स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ।
7- जिलाधिकारी को सूचनार्थ।
8- कम्प्यूटर कक्ष/सिस्टम आफिसर, जनपद न्यायालय देवरिया को इस आशय के साथ प्रेषित कि इसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय देवरिया के वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

दिनांक/देवरिया।
अगस्त 30,2016.

(साधना रानी ठाकुर),
अपर जनपद न्यायाधीश-2,
अध्यक्ष-नीलामी समिति, देवरिया।